हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
के सम्बन्ध में वादी एवम प्रतिवादी गण के आदेशिका में अंगूठा करवाये जो शामिल फाईल है। मिसल वास्ते राजीनामा अवलोकन में दिनांक 11/12/2025 को पेश हो।	नि॰ अं॰ [illegible]
	कन्हैयालाल गौरीशंकर
	नि॰ अं॰ [illegible] पहचान करी
11/12/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप॰। मिसल वास्ते वादी आवे॰ में संशोधित राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ~~राजीनामा~~ संशोधित राजीनामा अनुसार निस्तारित किया जावे। मिसल वास्ते आदेश में दिनांक 15/12/2025 को पेश हो।	([illegible])
15/12/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप॰। प्रस्तुत राजीनामा पर वादी एवम प्रतिवादी आवे॰ की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात रिकॉर्ड एवम बहस का गहन अध्ययन अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
अतः वाद राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। डिक्री नियम पूर्वक बने किरवा जाकर शामिल फाईल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0

नं0
08/2025

तारीख दायरा
21.07.2025

तारीख फैसला
15.12.2025

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामकिशन आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– बंशीलाल आत्मज गंगाराम
2– मुरारीलाल आत्मज गंगाराम
3– द्वारका लाल उर्फ द्वारकीलाल आत्मज गंगाराम
4– पोखरा उर्फ फोकरीलाल आत्मज गंगाराम
5– नटटी बाई उर्फ मन्नी बाई पुत्री गंगाराम
6– प्रेम बाई पुत्री गंगाराम
7– रामजानकी पत्नी बिरधीलाल
8– कन्हैयालाल आत्मज बिरधीलाल
9– गौरी शंकर आत्मज बिरधीलाल
10– मुकेश कुमार आत्मज बिरधीलाल
जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम ऐबरातहसील दीगोद जिला कोटा
11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री रधुवीर सिंहएडवोकेट
प्रतिंवादीगण की ओर से– श्री राम बाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :– यह कि वाके ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 6 पर ख0न0 350/444 की 0.70 है0 ख0न0 352 की 1.20हे0, ख0न0 353/443 की 0.19हे0 कुल तीन किता की 2.09 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के नाम शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 7 ता 10 प्रत्येक का 1/28 दर्ज है।नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2079 संलग्न है।यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता

जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी। गंगाराम जी की मृत्यु के बाद उनके खाते त भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का नाम दर्ज हो गया तथा सहवन से वादी व ालाल पुत्र गंगाराम का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया है।यह कि वादी राम जी का पुत्र व वारिस तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का भाई है तथा अपे हिस्से की /9 भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादी उपरोक्त भूमि में अपना ाम दर्ज कराकर समान हिस्से में खातेदार घोशित होने का अधिकारी है।यह कि वादीने प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गंगाराम जी के सभी वारिसान का नाम यानी वादी व ग्यारसीलाल नाम दर्ज कराने हेतु दिनांक 10.07.2025 को कहा जो प्रतिवादीगण ने वादी का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादी को उसका नाम उपरौकत भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने व खातेदार घोषित करने से रोके। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 6 पर ख0न0 350/444 की 0.70 है0, ख0न0 352 की 1.20हे0, ख0न0 353/443 की 0.19हे0 कुल तीन किता की 2.09 हे0 भूमिमें वादी को प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के साथ सहखातेदार के साथ सहखातेदार के रूप में समान हिस्से से खातेदार दर्ज किया जाकर खातेदार धोशित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1. नकल जमाबदी ग्राम ऐबरा संवत 2076–79

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करावायी गयी। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल गिया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी–प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत कियाः–

राजीनामा

यह कि उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। पक्षकारान आपस में परिवार के सदस्य है। राजीनामा निम्नानुसार है–

1. यह कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद की खाता सं0 6 पर ख0नं0350/444 की 0.70 है0 ख0नं0 352 की 1.20हे0, ख0न0 353/443 की 0.19हे0 कुल

तीन किता की 2.09 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें दोनों पक्षकारान आपस में सहमत है तथा वादी, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का 1/9 हिस्सा व प्रति0नं0 7 ता 10 का 1/36 हिस्सा तथा ग्यारसीलाल पुत्र गंगाराम का 1/9 हिस्सा दर्ज कर खातेदार घोषित करते हुए संशोदन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र को आपसी सहमती से प्राप्त हिस्सा अनुसार डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।तत्पश्चात वाद को बहस पर नियत किया गया ।वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वादी–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता नें प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी–प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद की भूमि खाता सं0 6 पर ख0नं0350/444 की 0.70 है0 ख0नं0 352 की 1.20हे0, ख0नं0 353/443 की 0.19हे0 कुल तीन किता की 2.09 हे0 भूमिस्थित है। जिसमें दोनों पक्षकारान आपस में सहमत है तथा वादी, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का 1/9 हिस्सा व प्रति0नं0 7 ता 10 का 1/36 हिस्सा तथा ग्यारसीलाल पुत्र गंगाराम का 1/9 हिस्सा दर्ज कर खातेदार घोषित करते हुए संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे तथा यदि कोई राजस्व बनता हो तो नियमानुसार वसूल किया जावें। यदि रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद